उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928	GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स/जी.एस.टी. सेल Corporate Tax/GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com
Room No. – 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्र सं0 09 /उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019   दिनांकः 13 /02 /2019

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

<u>आयकर अधिनियम, 1961 में आये नवीनतम संशोधनों के सम्बन्ध में।</u>

आयकर अधिनियम, 1961 में आये निम्नलिखित संशोधनों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 से आयकर अधिनियम, 1961 के Section 87(A) के अन्तर्गत रू0 5,00,000/– तक की कर योग्य आय होने पर रू0 12,500/– तक की Rebate मिलगी, जो कि पूर्व में रू0 3,50,000/– तक की आय पर रू0 2,500/– मिलती थी।

2. आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत करायी गयी चिकित्सा की इम्प्लायर द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति के विषय में निम्नलिखित प्रावधान है:–

आयकर अधिनियम, 1961 के Section 17(2)(VIII) के Proviso (i) एवं (ii) के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के चिकित्सीय खर्चे Perquisite की परिभाषा से बाहर अर्थात कर से Exempt है:–

(i) यदि कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की OPD अथवा IPD चिकित्सा इम्प्लायर द्वारा Maintained अस्पताल में हुई हो।

(ii) यदि कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की OPD अथवा IPD चिकित्सा किसी सरकारी अस्पताल, किसी <u>Local Authority</u> द्वारा Maintained अस्पताल अथवा इस उद्देश्य से सरकार द्वारा Approved किसी अस्पताल में हुई हो तथा इसका भुगतान इम्प्लायर द्वारा अस्पताल को सीधे भुगतान के रूप में अथवा कर्मचारी को प्रतिपूर्ति के रूप में वहन किया गया हो।

(iii) यदि Principal Chief Commissioner अथवा Chief Commissioner (Income Tax) द्वारा Approved अस्पताल में आयकर के Rule 3(A) (**<u>Annexure- A</u>**) में उल्लिखित रोगों के लिए कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य का इलाज हुआ हो तथा इसका भुगतान इम्प्लायर द्वारा अस्पताल को सीधे भुगतान के रूप में अथवा कर्मचारी को प्रतिपूर्ति के रूप में वहन किया गया हो। साथ ही Rule 3(A) से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु बीजक प्रस्तुत करते समय कार्मिक संबंधित अस्पताल से यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि चिकित्सा Rule 3(A) की बीमारी के लिए की गयी है तथा उक्त अस्पताल Rule 3(A) हेतु Principal Chief Commissioner अथवा Chief Commissioner (Income Tax) द्वारा Approved है।

यदि कर्मचारियों को भुगतान किया गया चिकित्सा प्रतिपूर्ति उपरोक्त तीन बिन्दुओं में आता है तो सम्पूर्ण चिकित्सा प्रतिपूर्ति आयकर से Exempt होगा। अन्यथा की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पूर्ण धनराशि कर्मचारी की आय का हिस्सा माना जायेगा एवं कर योग्य होगा।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण का परीक्षण उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में ही करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयकर अधिनियम, 1961 के Section 17(2) में प्राविधानित नियमों के अनुसार कर योग्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर रू0 15,000/– की कटौती को समाप्त करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के Section 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत रू0 40,000/– का Standard Deduction अनुमन्य किया गया था जिसे कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में बढ़ाकर रू0 50,000/– कर दिया गया है।

अतः आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर योग्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी आय का ही हिस्सा है इसलिए कर योग्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर Perquisite के रूप में अब किसी भी प्रकार का Exemption नहीं होगा। अतः कर योग्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर भी आयकर अधिनियम, 1961 के Section 192 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयकर काटा जाना सुनिश्चित करें।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में यदि सम्बन्धित सेवा निवृत्त कर्मचारी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान निगम के आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त किया जा रहा है परन्तु उक्त कर्मचारी पेंशन का भुगतान किसी अन्य स्थान (जैसे कि, कोषागार) से प्राप्त कर रहा है, ऐसी स्थिति में भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान करते समय निगम के आहरण वितरण अधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 के Section 192 के प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले अपने दायित्वों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उचित होगा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी उनके समक्ष प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में कार्यालय ज्ञाप निर्गत करते समय उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रकरण उपरोक्त नियमानुसार आयकर से Exempt होगा अथवा उस पर आयकर अधिनियम, 1961 के Section 192 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयकर काटा जायेगा।

3. वित्तीय वर्ष 2019–20 में लागू होने वाले TDS से संबंधित रेट **Annexure- B** में संलग्न है।
4. आयकर अधिनियम, 1961 के Section 40(A)(3) के अनुसार किसी एक व्यक्ति को एक दिन में नकद भुगतान करने की सीमा पूर्व में रू0 20,000/– थी, जिसको वित्तीय वर्ष 2018–19 में घटाकर रू0 10,000/– कर दिया गया है।
5. आयकर अधिनियम, 1961 के Section 269(ST) के अनुसार किसी एक ट्रांजेक्शन के संबंध में अथवा, एक व्यक्ति से एक दिन में अथवा, एक व्यक्ति से एक घटना/अवसर से संबन्धित लेन–देन के सम्बन्ध में नकद भुगतान प्राप्त करने की सीमा को कर निर्धारण वर्ष 2018–19 से रू0 2,00,000/– कर दिया गया है।
6. वित्तीय वर्ष 2017–18 तक आयकर पर 2 प्रतिशत का Education Cess एवं 1 प्रतिशत का Secendary and Higher Education Cess लगता था, जिसे वित्तीय वर्ष 2018–19 में हटाकर 4 प्रतिशत का Health and Education Cess लागू कर दिया गया हैं।

<u>संलग्नकः – यथोपरोक्त</u>

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

पत्र सं0 09 /उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1- निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0।

2- मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

3- उप महाप्रबन्धक परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सामग्री प्रबन्ध), महानगर, लखनऊ, को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने अन्तर्गत आने वाली समस्त इकाईयों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

4- उप महाप्रबन्धक (सामान्य प्रशासन)/उप महाप्रबन्धक (कारपोरेट लेखा)/उप महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

5- उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को, कानपुर।

6- अनुसचिव (स0प्र0 लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

7- लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/लेखाधिकारी (के0भु0प्रकोष्ठ)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

8- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम 409, चतुर्थ तल, शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः यथोपरोक्त

RGupta

लेखाधिकारी (का0 टैक्स)

Annexure-A

Rule 3A of Income Tax Rules

The following are diseases and ailments classified under Rule 3A of Income Tax Rules. Diseases under rule 3A of income tax rules enjoy special exemptions under the Income Tax Act. For instance, expenditure incurred by an employer for an employee or his/her family for treatment of any of the diseases or ailments under Rule 3A are **tax free perquisites** in the hands of the employee.

Diseases and Ailments under Rule 3A of Income Tax Rules

The following diseases and ailments have been classified under Rule 3A:

1. Cancer
2. Tuberculosis
3. Acquired Immunity Deficiency Syndrome (AIDS)
4. Disease or ailment of the heart, blood lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary systems, liver, gallbladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring a surgical operation.
5. Ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring a surgical operation.
6. Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrate requiring surgical operation or orthopaedic treatment.
7. Gynaecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention.
8. Ailment or disease of the organs mentioned in point 4, requiring medical treatment in a hospital for atleast three continuous days.
9. Gynaecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for atleast three continuous days.
10. Burn injuries requiring medical treatment in a hospital for atleast three continuous days.
11. Mental disorder – neurotic or psychotic – requiring medical treatment in a hospital for atleast three continuous days.
12. Drug addiction requiring medical treatment in a hospital for atleast seven continuous days.
13. Anaphylactic shocks including insuln shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for atleast three continuous days.

Medical Certificate for Rule 3A

Whenever benefits are claimed by a taxpayer while **filing income tax return** under Rule 3A, a medical certificate must be obtained and kept for records. The medical certificate must be issued by the hospital treating the disease or ailment, specifying the disease or ailment for which medical treatment was required and the receipt fo the amount paid to the hospital.

Annexure-B
TDS Rates Charts F.Y.2019-20

Section	Nature of Payment	Threshold Limit in Rs.	TDS Rates	
			TDS Rates Individual/HUF	Domestic Company
192A	Payment of taxable accumulated balance of provident fund	50,000	10%	10%
193	Interest on Securities	10,000	10%	10%
193	Interest on Debentures	5,000 p.a.	10%	10%
194A	Interest payment other than interest on securities	50,000 (Senior Citizen) 40,000 others **(10,000 up to FY 2018-19)**	10%	10%
194C	Payment to contractors/sub-contractors	30,000 (single) 1,00,000 (aggregate)	1%	2%
194D	Payment of Insurance Commission	15,000	5%	10%
194DA	Payment in respect of life insurance policy	1,00,000	1%	1%
194EE	Payment of National Saving Scheme	2,500	10%	10%
194F	Payment for repurchase of units of MF or UTI	N/A	20%	20%
194H	Commission or brokerage	15,000	5%	5%
194I	Rent of plant & machinery	2,40,000 **(1,80,000 up to FY 2018-19)**	2%	2%
194I	Rent of land or building or furniture or fitting	2,40,000 **(1,80,000 up to FY 2018-19)**	10%	10%
194IA	Payment or credit of consideration for transfer of any immovable property (other than rural	50 Lacs	1%	1%
194IB	Payment or credit of rent by an individual or HUF if not subject to tax audit w.e. 1-6-2017	50,000 p.m.	5%	5%
194IC	Payment under joint development agreement (who transfers land/building)	N/A	10%	10%
194J	Professional fees, technical fees, royalty or remuneration to a director	30,000	2%	2%
	-if payment is engaged only in the business operations of call centre w.e.f 1-6-2017			
194J	Professional Fee, Technical fees, Royalty or Remuneration	30,000	10%	10%
	Other than call centre operator only business payment			
194LA	Payment of compensation on acquisition of certain immovable property	2,50,000	10%	10%
194LBA (1)	Payment by business trust to resident unit holders	N/A	10%	10%
194LBB	Payment in respect of units of investment funds	N/A	10%	10%
194LBC (1)	Payment in respect of an investment in a securitisation trust	N/A	25%	30%

No surcharge and Health & education cess is applicable on the payment to Residents/HUFs/Firm/Domestic Company.